

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2944/76/एक/एबीएमबीबीवाई/2015-16, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत बजट में प्राविधिक धनराशि से जनपद-कानपुर नगर की निगम, कानपुर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण आदि कार्यों सम्बन्धित अलग-अलग कुल 03 परियोजनाओं हेतु रु० 446.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 223.325 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-290/2016/748/69-1-16-4(अ०सं०-३७)/2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्राविधिक वर्जट से उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० 223.325 लाख (रुपये दो करोड़ तीन सौ लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नागत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नागत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

-2/-

प्र० ज्ञाना | प्र० पौष्टि | प्र० पौष्टि

b  
र  
२०१०।१८

4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदारी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूड़ा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५ दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाती आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सुजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/वी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय  
एच०पी० सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या-६५३/2016/2306(1)/69-1-2016 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(शशिकान्त कनौजिया)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 657 /2016/2306/69-1-16-04(अ0सं0-37)/2016, दिनांक २५ अक्टूबर, 2016 का  
संलग्नक। (धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर नगर	नगर निगम, कानपुर	रावतपुर गाँव के अन्तर्गत मोहल्ला अन्सार नगर में भतर सिंह के मकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक, गौसिया मस्जिद से अलाउद्दीन शान तक, अजीम भाई के मकान से सोहैल अहमद के मकान तक एवं मेराज अहमद के मकान से गौसियां मस्जिद तक, मोहल्ला वारसी चौराहा में बदरुद्दीन के मकान से अमन वर्मा के मकान तक, बफती के मकान से हाजी इदरीश के मकान तक, विजय के मकाब से सुभाष वर्मा के मकान तक, आदर्श नगर में सरताज के मकान से रईस के मकान तक, महावीर मिश्रा के मकान से बलराम सेठ के मकान तक, इसरार के मकान से अब्दुल के मकान तक, बगीचा रोड से तबरेज के मकान तक, तबरेज के मकान से अजमीन के मकान होते हुए लेन तक, मोहल्ला रहमत नगर में कृपालु की दुकान से डी०३००१००१० नसिंग होम होते हुए लेन तक, एकता मिठाई की दुकान से गोरखनाथ के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	147.88	73.94
2.	तदैच	तदैच	सैयद नगर में ब्रिजपाल सिंह के मकान से शिव बालक सिंह के मकान तक, सुरेन्द्र सिंह के मकान से राकेश प्रजापति के मकान तक, रूपल के मकान से सीताराम के मकान तक, खाली प्लाट से श्रीवास्तव के मकान तक, आ०४८० यादव के मकान से गुप्ता जी के मकान तक, राहुल जनरल स्टोर से अब्दुल सकूर के मकान तक, सन सिटी स्कूल से मोहम्मद जलील के मकान तक, मुहम्मद इसरार के मकान से अब्दुल के मकान तक, राम सजीवन तिवारी के मकान से मनीष सिंह के मकान तक, हिम्मत अली के मकान से मोहम्मद खलील के मकान तक, रईस के मकान से तूरी मस्जिद तक, सी० से दुर्गा मॉडल	197.80	98.90

			इण्टर कालेज तक, मोहल्ला सुरेन्द्र नगर में सिटी मॉडल स्कूल से किशन के मकान तक, सफीक के मकान से मस्जिद होते हुए लेन तक, शिव प्रसाद अग्निहोत्री के मकान से सतीश तिवारी के मकान होते हुए लेन तक, मोहल्ला आनन्द नगर में गोपाला ट्रेडस से उमा शंकर मिश्रा तक एवं राजेश वर्मा के मकान से विजय कटियार के मकान होते हुए लेन तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।		
3.	तदैव	तदैव	सहकार नगर में गौतम के मकान से विनोद चौहान के मकान तक, सीताराम के मकान से राम सजीवन के मकान तक, कमलेश शर्मा के मकान से हरीओम वर्मा इलेक्ट्रिकल से नाला तक, मनोज कुमार के मकान से ओम सिंह के मकान तक, ओम प्रकाश के मकान से किशन के मकान तक, आस्था मिष्ठान से हाजी साहब के मकान तक, विधा सागर के मकान से शिव सिंह के मकान तक, आईडीओ वर्मा के मकान से नागेन्द्र सिंह के मकान तक, किशन के मकान से रामथानी के मकान तक, रामानन्द यादव के मकान से लेन तक, इकबाल के मकान से वाहिद के मकान तक एवं डा० श्वरण कुमार क्लीनिक से खुर्शीद के मकान होते हुए लेन तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	100.97	50.485
योग				446.65	223.325

(रुपये दो करोड़ तीन सौ लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र)।

क्रमः  
(शशिकान्त कबौजिया)  
अनु सचिव।